



## पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन निदेशालय)

बिहार सरकार

### अनुदानित दर पर तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) के वितरण हेतु विज्ञापन

#### आवेदन-

विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त ऑनलाईन लिंक खुलने के पश्चात 21 दिनों तक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी0 पी0 एल0) परिवार इस योजना हेतु विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html> पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या / वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को अपलोड करना होगा, जो मुख्य रूप से निम्न है :-

बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति	जाति प्रमाण पत्र
अन्य	फोटो, आधार, वोटर आई0डी0, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0 कार्ड/ बी0पी0एल0 राशन कार्ड



- प्राथमिकताएँ-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम के तहत समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजनान्तर्गत राज्य में बकरी विकास के लिये गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारों के बीच उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) अनुदानित दर पर वितरण किया जाना है। लाभुकों का चयन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन जिला स्तर पर किया जायेगा।

क्र0 सं0	कोटि	उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) का अनुदानित दर पर वितरण	औसत अनुमानित अधिकतम मूल्य (रूपया में)	प्रति बकरी इकाई अनुदानित दर
1	सामान्य जाति	1006	15,000	12,000
2	अनुसूचित जाति	2200	15,000	13,500
3	अनुसूचित जनजाति	735	15,000	13,500

- चयन- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत योजना एवं कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा।
- विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- विस्तृत निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश विभाग के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html> से डाउनलोड किया जा सकता है।